न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 05/2022

पीठासीन अधिकारी –श्री भागीरथराम ॥, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान प्रार्थीगण – 1.तेजाराम 2.जेठाराम 3.मघाराम 4.सिणगारी पि.गोमाराम 5.चूनीदेवी पत्नि गोमाराम 6.केशाराम 7.धर्माराम पि.सोनाराम 8.सिमरथाराम 9.दमी 10.पेमी 11.जीया 12.देवीलाल 13.पन्नालाल पि. अचलाराम 14.लक्ष्मी पत्नि अचलाराम 15.जेठाराम 16.नारणाराम 17.नानगाराम पि.गोरधनराम 18.हरजीराम 19.चोलाराम 20.जेठाराम पि. अमराराम 21.पारू पत्नि अमराराम, जाति जाट
निवासी खांगटों का तला, धारासर, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

बनाम

विप्रार्थीगण – 1.प्रेमाराम 2.शोभाराम 3.गजाराम 4.गोकलाराम 5.तगाराम 6.मघाराम पि.उगराराम 7.भूरी पत्नि उगराराम 8.हेमाराम 9.सिदाराम 10.ओमाराम पि.देराजराम 11.पूरोंदेवी पत्नि देराजराम 12.मगाराम पुत्र हडुमानराम 13.पेम्पों पत्नि हडुमानराम, जाति जाट, निवासी खांगटों का तला, धारासर, तहसील चौहटन
14.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण – प्रार्थीगण वकील – **श्री बाबूलाल जाणी**

निर्णय

Signature Not Verified

दिनांक :– 14.02.2022

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:10:27 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी का खेत मौजा खांगटों का तला, पटवार क्षेत्र धारासर, तहसील चौहटन में खसरा सं. 325 रकबा 00.15 बीघा, खसरा सं. 327 रकबा 00.17 बीघा, खसरा सं. 371/278 रकबा 39.16 बीघा, खसरा सं.

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

403/330 रकबा 142.04 बीघा, खसरा सं. 413/355 रकबा 180.04 बीघा, कुल रकबा 363.16 बीघा के आये हुए है। जिस पर प्रार्थीगण की रहवासी ढाणिया, टांके, लाटा आदि बना हुआ है।

प्रार्थीगण के सेढ़ोसेढ ही विप्रार्थी सं. 1 से 13 की भूमि खसरा सं. 326 रकबा 00.19 बीघा, खसरा सं. 414/355 रकबा 180.14 बीघा, खसरा सं. 372/278 रकबा 39.16 बीघा, खसरा सं. 404/330 रकबा 145.03 बीघा मौजा खांगटों का तला पटवार क्षेत्र धारासर, तहसील चौहटन में आई हुई है।

उपरोक्त समस्त भूमि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 से 13 के संयुक्त खातेदारी की थी जिसका प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 से 13 ने न्यायालय से बाहामी बंटवाड़ा व कब्जा काश्त अनुसार विधिवत बंटवाड़ा करवा दिया । जिससे मूल खसरा का विभाजन होकर उक्त भूमि अलग अलग प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 से 13 के नाम दर्ज हुई।

प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी सं. 1 से 13 के मूल खसरा के बंटवाड़े के समय जो नक्शा तैयार किया गया वह नक्शा सही एवं पक्षकारों के कब्जा काश्त अनुसार था, उक्त बंटवाड़े के बाद हल्का पटवारी ने लट्ठा ट्रेस में तरमीम अलग कर दी जो मौके पर पक्षकारों के कब्जा काश्त अनुसार नहीं थी। जिससे लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर पक्षकारों के कब्जा काश्त में भारी अन्तर हो गया। इस प्रकार राजस्व कर्मचारियों ने मौके की जांच किये बिना गलत तरमीम कर दी जबकि मौके पर कब्जा काश्त नजरी नक्शा परिशिष्ट "अ" अनुसार है।

उपरोक्त वादग्रस्त भूमि के मध्य स्थित रोड़ की तरमीम का नामान्तरकरण भी मौके अनुसार न करके गलत दर्ज कर दी गई। पूर्व में विधिवत बंटवाड़ा होने के उपरान्त भी सड़क का नामान्तरकरण दर्ज करते समय खाता वापिस सामलाती दर्ज किया गया। सड़क के दोनों और विभाजन होने के बावजूद एक ही खसरे का अंकन कर दिया जबकि मौके एवं नक्शे में खेत के तीन टूकड़े कर अलग अलग तरमीम कर दी गई।

इस प्रकार उपरोक्त वादग्रस्त भूमि की मौके पर कब्जा काश्त की जांच किये बिना ही लट्ठा ट्रेस में गलत तरमीम कर दी गई जो मौके पर वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार नहीं है। लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम के अनुसार पक्षकारों का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। इसलिए प्रार्थीगण मौके पर कब्जा काश्त अनुसार लट्ठा ट्रेस में सही तरमीम करवाना चाहते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:10:27 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

अतः आवेदन प्रस्तुत कर मौजा खांगटों का तला के उपरोक्त वादग्रस्त भूमि की तरमीम परिशिष्ट "अ" अनुसार दुरस्त करवाने का निवेदन किया है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया जाकर तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंध तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त । विप्रार्थी सं. 12 व 13 स्वयं उपस्थित हुए तथा अपना जवाब पेश किया। शेष विप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई तहसीलदार से तरमीम दुरस्ती संबंधी रिपोर्ट प्राप्त हुई। जो शामिल पत्रावली की।

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थीगण उपस्थित हुए। वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण वकील ने तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट स्वीकार की। पत्रावली का अवलोकन किया। सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया। जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार करने योग्य है।

अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा खांगटों का तला, पटवार क्षेत्र धारासर, तहसील चौहटन की उपरोक्त वादग्रस्त भूमि की तरमीम तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती हेतु प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट में सलंग्न परिशिष्ट "A" अनुसार दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार से प्राप्त तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। संख्या से एक कम हो।

निर्णय आज दिनांक 14.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:10:27 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथराम ।।)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

वर्तमान मौका स्थिति अनुसार :- मौजा- खांगटो का तला (धारासर) मूल ख०नं० 330, 278, 355, 326, 327 परिशिष्ट "A"

राजस्व अपील नं. 05/2022
[illegible] V/S
[illegible]
U/S 131, 136 [illegible]

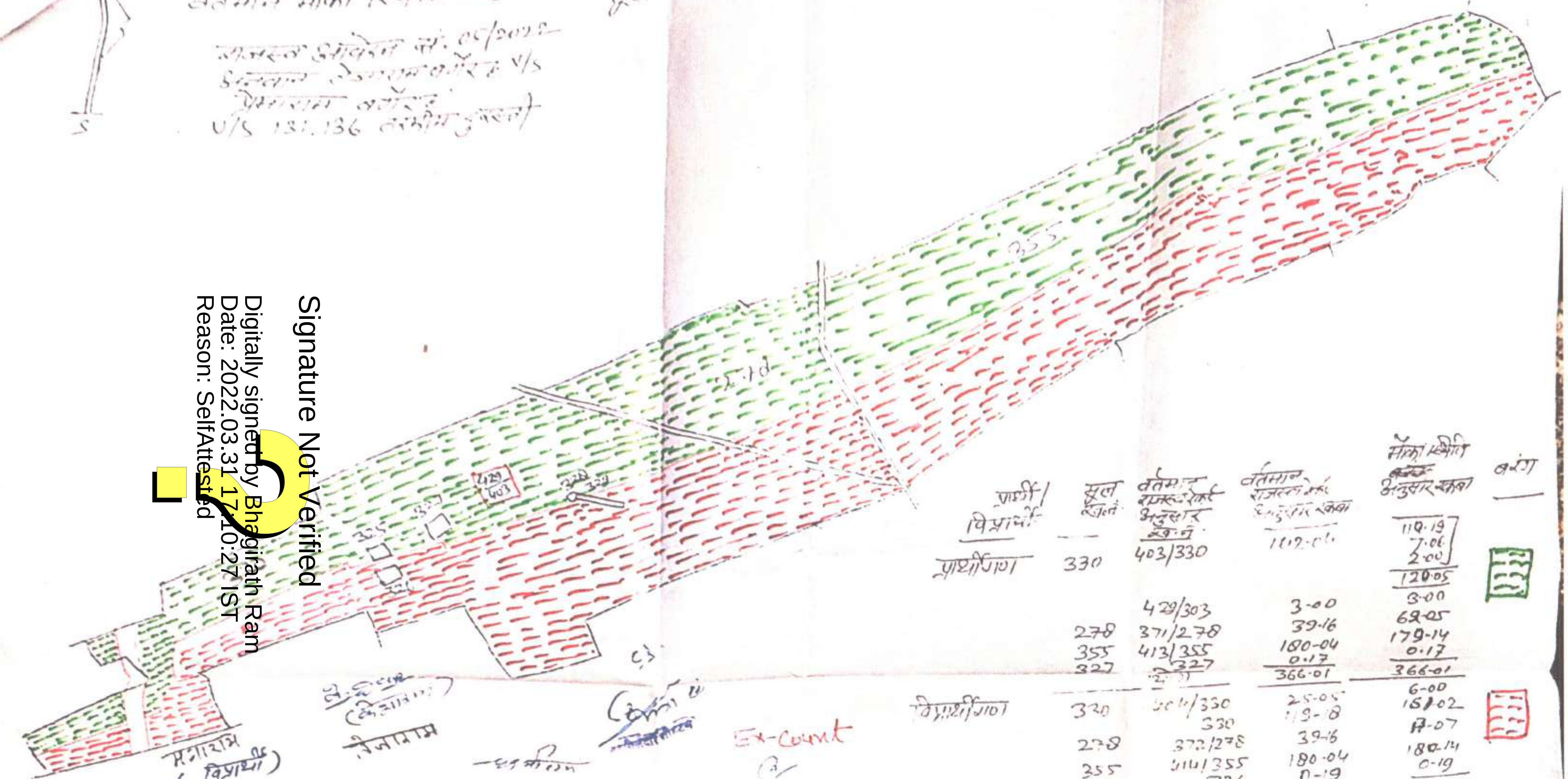

प्रार्थी / विप्रार्थी	मूल खातं	वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार ख०नं०	वर्तमान राजस्व रेकर्ड अनुसार रकबा	मौका स्थिति अनुसार रकबा	रंग
	—		1102-06	110.19 7.06 2.00	—
प्रार्थीगण	330	403/330		120.05	हरा
		429/303	3-00	3-00	
	278	371/278	39-16	62-05	
	355	413/355	180-04	179-14	
	327	327	0.17	0.17	
		योग	366.01	366-01	
विप्रार्थीगण	330	404/330	25-05	6-00	लाल
		330	119-18	151-02	
	278	372/278	39-16	17-07	
	355	414/355	180-04	180-14	
	326	326	0-19	0-19	
		योग	366-02	366.02	
गै० मु० सड़क	330	402/330	4-03	1.10 बीघा 2.13 बीघा	=

Ex-Count

उपखण्ड अधिकारी
बीकानेर

23/01/2022
ILR तारातरा

Sunita Jat
पटवारी धारासर

मगाराम (विप्रार्थी)

हरजीराम (हरजीराम)

भेराराम

अमीरसोना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.03.31 17:10:27 IST
Reason: SelfAttested